

08.02.2024 वाद पुकारा गया। अपीलार्थिनी की ओर से अधिवक्ता श्री अरविंद वर्मा उपस्थित आये। प्रत्यर्थी सं.1 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज भट्ट एवं प्रत्यर्थी सं.2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र जुयाल उपस्थित आये। साक्षी अधिवक्ता कमिश्नर श्री प्रवेश रावत पर नोटिस की तामीली पर्याप्त नहीं है। अधिवक्ता कमिश्नर को पुनः नोटिस जारी हो।

पत्रावली दिनांक 17.02.2024 को साक्ष्य अधिवक्ता कमिश्नर पेश हो।

रीना नेगी
अपर जिला जज,
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल